अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना अन्तर्गत ई–पचांयत स्टेट रिव्यू कमेटी की षष्ठम बैठक का आयोजन का कार्यवृत्त।

दिनांकः–02 अप्रैल, 2024
स्थानः– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन।
समयः– पूर्वाह्नं 11:00 बजे।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायती राज सशक्तीकरण योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–81/2016/2689/33–3–2016–100(33)/2015 दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 के अन्तर्गत गठित ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी की षष्ठम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

क्र.स.	नाम सर्वश्री	पदनाम	विभाग
1	मनोज कुमार सिंह	कृषि उत्पादन आयुक्त/ अपर मुख्य सचिव	पंचायती राज, उ.प्र.।
2	अटल कुमार राय	निदेशक	पंचायती राज, उ.प्र.।
3	अमनदीप डुली	विशेष सचिव	पंचायती राज, उ.प्र.।
4	ए.के. राय	मुख्य अभियन्ता, जिला पंचायत	पंचायती राज, उ.प्र.।
5	बी.डी. चौधरी	अपर निदेशक (प्रशा.)	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ
6	आर.एस.चौधरी	संयुक्त निदेशक	पंचायती राज, उ.प्र.।
7	प्रवीणा चौधरी	उपनिदेशक (पं.)	पंचायती राज, उ.प्र.।

8	अमितोष श्रीवास्तव	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	पंचायती राज, उ.प्र.।
9	राम जियावन	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), मिर्जापुर	पंचायती राज, उ.प्र.।
10	अरविन्द कुमार	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), अयोध्या / देवीपाटन मण्डल	पंचायती राज, उ.प्र.।
11	समरजीत यादव	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), बस्ती	पंचायती राज, उ.प्र.।
12	जयदीप त्रिपाठी	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), प्रयागराज	पंचायती राज, उ.प्र.।
13	ए0के0 सिंह	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), वाराणसी	पंचायती राज, उ.प्र.।
14	गिरीशचन्द्र रजक	मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) लखनऊ मण्डल	पंचायती राज, उ.प्र.।
15	सुचेता शुक्ला	स्टेट हेड	सी–3, लखनऊ।
16	योगेश कुमार	ग्रुप आपरेशन हेड	एच.सी.एल. फाउण्डेशन
17	निधि सक्सेना	सेक्टर हेड	सी–3, लखनऊ।
18	माधुरी सिंह	ग्राम प्रधान थावर,	विकासखण्ड–काकोरी, जनपद–लखनऊ।

बैठक में चर्चा के बिन्दुओं पर समिति के निर्णय निम्न प्रकार से है :–

एजेण्डा बिन्दु–1: डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना का संक्षिप्त परिचय।	**समिति द्वारा लिए गये निर्णय**
डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में परिकल्पित (concieved) की गयी। **योजना के उद्देश्य** :– • पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की स्थापना करना। • पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना। • पंचायतों को सशक्तीकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना। • पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना।	माननीय समिति संज्ञानित हुई।

<u>योजना के घटक/गतिविधियॉ</u> :– • राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु परामर्शी एवं कर्मी। • मण्डल/जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु परामर्शी। • मण्डल/जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाईयों हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम। • ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण। **<u>योजना के संचालन हेतु समितियों का गठन</u> :–** राज्य स्तर पर दो समितियों का गठन :– **(क)–ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटीः–** शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. की अध्यक्षता में ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। **(ख)–कार्यकारी समितिः–**निदेशालय स्तर पर निदेशक महोदय की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।	माननीय समिति संज्ञानित हुई।
मा0 कमेटी के अवगतार्थ प्रस्तुत।	

एजेण्डा बिन्दु–2: डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत चतुर्थ बैठक में लिए गये निर्णयों के परिपालन की स्थिति तथा षष्ठम बैठक के एजेण्डे की पुष्टि।

चतुर्थ बैठक में लिए गए निर्णय	निर्णयों के परिपालन की स्थिति	समिति द्वारा लिए गये निर्णय
विभाग में योजनान्तर्गत कार्यरत कमिर्यो हेतु एच.आर. पॉलिसी तैयार किया जाना।	समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एच.आर. पॉलिसी तैयार कर दिनांक 10 नवम्बर, 2023 को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित की गई है।	माननीय समिति संज्ञानित हुई।
मा0 कमेटी के अवगतार्थ प्रस्तुत।		

एजेण्डा बिन्दु–3: वर्ष 2023–24 में योजना के क्रियान्वयन की प्रगति एवं गतिविधियों पर अनुमोदन।

क्र. सं.	मद संख्या एवं मद	आवंटित धनराशि (लाख रू. में)	व्यय धनराशि (लाख रू. में)	अवशेष धनराशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	08–कार्यालय व्यय	60,00,000	56,57,546	3,42,454
2.	16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,00,000	99,83,046	16,954
3.	42–अन्य व्यय	1,85,00,000	1,69,98,189	15,01,811
4.	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	35,00,000	32,96,896	2,03,104
5.	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय।	25,00,000	24,68,346	31,654
	कुल योग	**4,05,00,000**	**3,84,04,023**	**20,95,977**

माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया।

1. कार्यालय व्यय (मद संख्या–08) :–

- शासन/निदेशालय पर प्रयोग किये जा रहे किराये पर प्रयोग किये जा रहे वाहनो तथा शासकीय वाहनों में इंधन एवं मरम्मत के सापेक्ष भुगतान किया गया है।
- शासन/निदेशालय स्तर से मॉग के आधार पर उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री एवं स्टेशनरी आदि के सापेक्ष भुगतान किया गया है।

माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया।

2. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान (मद संख्या–16) :–

- योजनान्तर्गत शासन/निदेशालय स्तर पर कार्यरत 02 कम्प्यूटर आपरेटर/02 आफिस हेल्पर (शासन स्तर पर कार्यरत) के वर्ष 2023–24 के मानदेय का भुगतान किया गया।
- योजनान्तर्गत मण्डल स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत 18 तकनीकी रिर्सोसेज (मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक)

तथा 12 मण्डलीय लेखाकारों के वित्तीय वर्ष 2023–24 के मानदेय का भुगतान किया गया।

3. अन्य व्यय (मद संख्या–42) :–

- समिति द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के प्रत्येक मण्डल से स्मार्ट पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रही 01 स्मार्ट ग्राम पंचायत को रू0 02.00 लाख की धनराशि तथा मॉडल/स्मार्ट कार्यालय के रूप में कार्य कर रहे जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों को क्रमशः रू0 3.00 लाख, 2.50 लाख, 2.00 लाख की धनराशि के क्रम में प्राप्त कुल आवेदन के सापेक्ष प्रत्येक मण्डल से चयनित कुल 18 ग्राम पंचायतों एवं 03 जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों को कुल धनराशि रू0 43.50 लाख हस्तान्तरित की गई है।
- प्रदेश के समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत जिला परियोजना प्रबन्धक के शासकीय कार्य हेतु धनराशि रू 25,000/– की दर से कुल धनराशि रू0 18,75,000/– विविध व्यय हेतु धनराशि हस्तान्तरित किया गया।
- प्रदेश के समस्त ए.डी.ओ.(पं0) को शासकीय/तकनीकी कार्यों के सम्पादन हेतु व्यय हेतु धनराशि रू0 10,000/– की दर से कुल धनराशि रू0 82,60,000/– जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को हस्तान्तरित किया गया है।

4. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय (मद संख्या–46) :–

- योजनान्तर्गत आवश्यकतानुसार निदेशालय स्तर पर क्रय किये गये हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के क्रय के सापेक्ष भुगतान किया गया।
- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालय के उपयोगार्थ Zoom App (1000 प्रतिभागियों के लिए 01 वर्ष हेतु) रू0 1,00,000/– प्रति मण्डल, इस प्रकार समस्त मण्डलों को कुल धनराशि रू0 18.00 लाख की धनराशि हस्तान्तरित किया गया।

माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया।

5. <u>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय (मद संख्या–47)</u> :– • समिति द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में विभाग में वित्त आयोग/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवन से ही भुगतान किये जाने हेतु पंचायत गेटवे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 19,47,000/– का भुगतान मद संख्या–46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय) में धनराशि की अनुपलब्धता के दृष्टिगत मद संख्या–47 से शत प्रतिशत भुगतान किया गया है, जिसपर समिति से कार्योत्तर निवेदित है। • निदेशालय स्तर पर बी.एस.एन.एल. के माध्यम से स्थापित 30 एम.बी.पी.एस. की लीज लाईन इन्टरनेट की सेवाओं के सापेक्ष बिल का भुगतान मद संख्या–47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय) से कराये जाने पर समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु मद संख्या–47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय) में धनराशि की अनुपलब्धता के दृष्टिगत मद संख्या–42 (अन्य व्यय) से धनराशि रू0 2.39 लाख का भुगतान कराया गया है, जिसपर समिति से कार्योत्तर अनुमोदन निवेदित है। • निदेशालय स्तर पर 100 एम.बी.पी.एस. की ली जा रही अतिरिक्त इन्टरनेट की सेवाओं के सापेक्ष निर्धारित क्रमानुसार भुगतान किया गया।	माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया।
मा0 कमेटी के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	
एजेण्डा बिन्दु–4: वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत स्वीकृत बजट के सापेक्ष प्रस्तावित कार्ययोजना पर चर्चा एवं अनुमोदन। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 अन्तर्गत विभाग द्वारा कुल धनराशि रू0 445.00 लाख अवमुक्त किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष शासन द्वारा निम्नलिखित मद में धनराशि प्राविधानित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है–	माननीय समिति संज्ञानित हुई।

क्र.	मद संख्या	गतिविधियाँ / कार्य	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अवमुक्त धनराशि (लाख रू. में)	शत प्रतिशत राज्यांश के रूप में धनराशि (लाख रू. में)
1.	8	कार्यालय व्यय	60	60
2.	11	लेखन सामग्री की छपाई	-	20
3.	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	-	10
4.	13	टेलीफोन पर व्यय	-	05
5.	15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	-	10
6.	16	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	25
7.	42	अन्य व्यय	185	100
8.	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	35	25
9.	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	25	20
10.	58	आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	-	130
योग			**405.00**	**405.00**

उक्त प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष शासन द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि रू0 405.00 लाख अवमुक्त किया गया है, जिसको व्यय किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना प्रस्तावित है :–

1. कार्यालय व्यय (मद संख्या–08) :–

- विभाग में योजना के संचालन हेतु अपेक्षित आकस्मिक व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- विभाग में डाक व्यय, साज–सज्जा की खरीद, जनरेटर के डीजल आदि पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में कार्यरत समस्त विकासखण्डों में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी(पं0) को शासकीय / तकनीकी कार्यों के सम्पादन हेतु रू0 5,000 / – की दर से हस्तान्तरित किया जाना है।

माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया।

- विभाग में योजनान्तर्गत स्थापित मशीनों/उपकरणों का अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
- समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।

2. <u>लेखन सामग्री की छपाई (मद संख्या–11)</u> :–

- शासन/निदेशालय के उपयोगार्थ लेखन सामग्री का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के सापेक्ष होने वाले व्यय का भुगतान किया जाना।
- विभाग में आवश्यकतानुसार आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु छपाई का कार्य कराये जाने के सापेक्ष भुगतान किया जाना।
- समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर लेखन सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।

3. <u>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (मद संख्या–12)</u> :–

- निदेशालय स्तर पर अधिकारियों/परामर्शियों /कर्मियों हेतु आवश्यकतानुसार फर्नीचर एवं उपकरण का क्रय किया जाना प्रस्तावित है।
- समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।

4. <u>टेलीफोन पर व्यय (मद संख्या–13)</u> :–

- नोडल अधिकारी, आर.एम.एल.पी.एस.वाई. के कार्यालय कक्ष में स्थापित टेलीफोन क मासिक बिल के सापेक्ष भुगतान कराया जाना प्रस्तावित है।
- निदेशालय स्तर पर बी.एस.एन.एल. के माध्यम से स्थापित 34 एम.बी.पी.एस. लीज लाइन इन्टरनेट का बिल भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।
- निदेशालय स्तर पर प्रयोग किये जा रहे अतिरिक्त 100 एम.बी. पी.एस. इन्टरनेट की सेवाओं के सापेक्ष संस्था द्वारा प्रस्तुत बिल

माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

के सापेक्ष भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित। 5. <u>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद (मद संख्या–15)</u> :– • शासन/निदेशालय में किराये पर प्रयोग किये जा रहे वाहनो की सेवाएं मार्च, 2025 तक विस्तारित करते हुए सम्बंधित सेवाप्रदाता संस्था को भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित। 6. <u>व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान (मद संख्या–16)</u> :– • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेंट/विधि व्यय एवं आडिट आदि कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित। 7. <u>अन्य व्यय (मद संख्या–42)</u> :– • प्रदेश के प्रत्येक मण्डल से पूर्व की भांति स्मार्ट पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रही 01 स्मार्ट ग्राम पंचायत को रू0 02 लाख की धनराशि से तथा मॉडल/स्मार्ट कार्यालय के रूप में कार्य कर रहे जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में से 03 जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को क्रमशः धनराशि रू0 03 लाख, 2.50 लाख, 02.00 लाख की धनराशि से पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है। ❖ **उपरोक्तानुसार गतिविधियों पर धनराशि रू0 43.50 लाख का व्यय प्रस्तावित है।** • प्रदेश के सहायक विकास अधिकारी(पं0) को शासकीय/तकनीकी कार्यों के सम्पादन हेतु रू0 5,000/– की दर से विविध व्यय हेतु धनराशि हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया।

8. <u>कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय (मद संख्या–46)</u> :– • विभाग में संचालित योजनाओं की निदेशालय स्तर से प्रगति की समीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु Zoom App (1000 प्रतिभागियों के लिए 01 वर्ष हेतु) पुनः क्रय किया जाना प्रस्तावित है। • समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालय के उपयोगार्थ Zoom App (1000 प्रतिभागियों के लिए 01 वर्ष हेतु) रू0 1,00,000/– प्रति मण्डल, इस प्रकार समस्त मण्डलों को कुल धनराशि रू0 18,00,000/– लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित। 9. <u>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय (मद संख्या–47)</u> :– • विभाग में कम्प्यूटर से सम्बंधित अनुरक्षण एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी, प्रिंटर/कार्टेज आदि पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित। 10.<u>आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (मद संख्या–58)</u> :– • योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर आउटसोर्सिंग पर स्वीकृत पद/कार्यरत रिर्सोसेज कम्प्यूटर आपरेटर/आफिस असिस्टेंट–02 एवं चपरासी–02 की सेवाएं दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विस्तारित करते हुए उनके मानदेय का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। • योजनान्तर्गत मण्डल स्तर पर आउटसोर्सिंग पर स्वीकृत पद/कार्यरत रिर्सोसेज यथा–मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक–18, मण्डलीय लेखाकार–18 की सेवाएं दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विस्तारित करते हुए उनके मानदेय का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया।

• योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर कार्यरत आफिस असिस्टेंट/कम्प्यूटर आपरेटर एवं आफिस हेल्पर के अन्य योजनाओं में कार्यरत आफिस असिस्टेंट/कम्प्यूटर के अनुभव के आधार पर मानदेय में की गई बढोत्तरी का कार्योत्तर अनुमोदन। • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।	माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।
मा0 कमेटी के अवगतार्थ एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत ।	

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन हुई।

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ.प्र./
अध्यक्ष, ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी,
डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना।

संख्या–RGSA/233/2024–RMLPSY/512/2016 दिनांक 08 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन।
2. विशेष सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन।
3. महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, उ.प्र.।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
5. अपर निदेशक(प्रशा0)/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज, उ.प्र.।
6. मुख्य वित एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ.प्र.।
7. मुख्य अभियन्ता, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ.प्र.।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज, उ.प्र.।

(प्रवीणा चौधरी)
उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज, उ.प्र./
सदस्य सचिव, ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी,
डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण
योजना।